Written by रमेश चंद राय
Monday, 23 October 2017 02:19

: □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ : □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ : □□□□□□-10 □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ :

□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□ **:**केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने मजीठिया वेज बोर्ड के दायरे में आने वाले मीडिया हाउस से मजीठिया वेज बोर्ड के अंतर्गत तय वेतन के आधार पर पी □फ की क्टौती के मामले में □क्शन टेक्न रपिोर्ट मांगी है□

इस मामले में मध्यप्रदेश पत्रकार संगठन ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में शकियत की थी□ इस शकियत में संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुचेन्द्र मश्रि ा ने मांग की थी कि 19 जून 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में मजीठिया वेज बोर्ड देने के नरि्देश दि□ ग□ थे□ इस आधार पर संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने मजीठिया वेज बोर्ड द्वारा नरि्धारति वेतन के आधार पर भवषि्य नधि की क्टौती करने और जुलाई 2010 से बकाया की वसूली करने की मांग की गई थी□

इस मामले को श्रम मंत्रालय ने अपनी कंप्लायंस वगि को सौंप दिया है और इस वगि ने सीधे मजीठिया वेज बोर्ड के दायरे में आने वाले मीडिया हाउसेस को नोटसि जारी कर उनसे इस मामले में □क्शन टेक्न रपिोर्ट भेजने को क्हा है□ भवषि्य नधि केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है इसके चलते इस मामले में केंद्रीय श्रम मंत्रालय राज्य के श्रम वभिागों पर नरि्भर नहीं है□ वही मजीठिया वेज बोर्ड के अंतर्गत वेतन दलिाने का मामला राज्य के श्रम वभिागों के अंतर्गत आता है□

इस तरह से पहली बार मजीठिया मामलों में केंद्रीय श्रम मंत्रालय मीडिया हाउसेस से जवाब तलब करेगा□ इसके चलते भवषि्य नधि के मामले में करवाई की उम्मीद बंधी है□